प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बडौत दिनाँक 05.10.2024

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस, स्वाट टीम व सर्विलांस सैल की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 657/24 धारा 137(2) बी.एन.एस. से संबंधित अपहृता बच्ची उम्र 09 माह को 30 घण्टे में सकुशल बरामद करते हुए 02 अभियुक्ता सहित अन्य एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक बुर्का बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.10.24 को थाना कोतवाली बड़ौत पर वादी इसरार पुत्र नजीर अहमद निवासी ग्राम बावली पट्टी मौहल्लू थाना बडौत जनपद बागपत ने तहरीर दी कि अज्ञात बुर्के वाली औरत द्वारा वादी की बडी पुत्री उम्र करीब 10 वर्ष को बहला फुसला कर उसकी गोद से वादी की छोटी पुत्री उम्र करीब 09 माह को पुचकारते हुये अपनी गोद में लेकर चली गयी है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बड़ौत पर मु0अ0सं0 657/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस, स्वाट टीम व सर्विलांस सैल की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 657/24 धारा 137(2) बी.एन.एस. से संबंधित अपहृता बच्ची उम्र करीब 09 माह को 30 घण्टे में सकुशल बरामद करते हुए 02 महिला अभियुक्ता सहित अन्य एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक काला बुर्का बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिफ्तार अभियुक्ता, अभियुक्त का नाम पता-

1- तुषार पुत्र शिवनाथ निवासी करण वाटिका नजफगढ रोड दिल्ली ।

2- 02 महिला अभियुक्ता ।

पूछताछ का विवरण–

एक अभियुक्ता द्वारा पूछने पर बताया गया कि मेरे 02 बेटे है जिनकी आये दिन तबियत खराब रहती है। किसी ने मुझे बताया था किसी लडकी को तुम गोद लेलो और उसे पालो तो ये तुम्हारे बच्चे सही रहेगें। यह बात मैने अपने भतीजे तुषार को बतायी। तुषार व मेरी बहन ने एक बच्ची देखकर मुझे बताया कि मेरे घर के सामने एक छोटी बच्ची है, जिसको विडियो कॉल करके मुझे दिखाया जो मुझे बहुत पसंद आ गयी थी। मैने व मेरे भतीजे तुषार व मेरी बहन के द्वारा बच्ची का अपहरण करने की योजना बनाई तथा योजना के अनुसार मेरी बहन ने एक बुर्का पहनकर बच्ची का अपहरण कर लिया । जिसको लेकर मेरी बहन गोरीपुर मोड पर आ गयी थी, तुषार और मैं बच्ची को गोरीपुर मोड से लेकर चले गये थे।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक काला बुर्का ।

गिरफ्तारी/बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-प्रभारी सर्विलांस सैल श्री राकेश कुमार शर्मा मय टीम जनपद बागपत ।

3-प्रभारी स्वाट टीम श्री जितेन्द्र सिंह मय टीम जनपद बागपत ।

4-उ0नि0- श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

5-म0उ0नि0 कीर्ति थाना ब़डौत जनपद बागपत ।

6-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

7-म0का0 520 पूनम थाना बडौत जनपद बागपत।

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी फिरोज को हुई 02 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त फिरोज पुत्र अख्तर निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 570/2014 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट व मु0अ0सं0 127/2008 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इन अभियोगों में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 05.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त फिरोज को 02 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police